

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी :- कमर चौधरी
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 85/2022

यूको बैंक शाखा कार्यालय लालसोट जिला दौसा राजस्थान प्राधिकृत अधिकारी श्री
राजीव शर्मा

...प्रार्थी

बनाम

1. श्री भरत लाल मीना पुत्र श्री जय नारायण मीना
2. श्री चरत लाल मीना पुत्र श्री जय नारायण मीना
3. श्रीमती लाली देवी मीना पत्नि श्री भरत लाल मीना
ग्राम पोस्ट मटलाना तहसील लालसोट जिला दौसा राजस्थान।



....अप्रार्थीगण / ऋणी

प्रा0 पत्र अंतर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन
और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम- 2002

उपस्थित : श्रीमती अंजुम, अधिवक्ता प्रार्थी।

आदेश

दिनांक: 22.09.2022

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी यूको बैंक शाखा कार्यालय लालसोट ने अप्रार्थी/ऋणी श्री भरत लाल मीना व श्री चरत लाल मीना निवासी ग्राम पोस्ट मटलाना तहसील लालसोट जिला दौसा राजस्थान को 8,00,000/- (रुपये आठ लाख मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में हाईपोथिकेशन किया गया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैंक का ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नही करने पर प्रार्थी अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गयी सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त हेतु **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।

अधिवक्ता प्रार्थी यूको बैंक शाखा कार्यालय लालसोट को सुना गया। हमने प्रार्थी यूको बैंक शाखा कार्यालय लालसोट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी यूको बैंक शाखा कार्यालय लालसोट को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नही कर उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस एवं समाचार पत्रों के माध्यम से नोटिस जारी



पर

Handwritten signature

किये जाने के बावजूद ऋण राशि का शर्तों के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act:2002** की धारा 14 प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र के अनुसार बंधक रखी गई श्री भरतलाल मीना पुत्र. जयनारायण मीना व चरतलाल पुत्र जयनारायण मीना की सम्पत्ति जो खसरा नंबर 1325, पट्टा नंबर 2588, अनाज मण्डी के पीछे, लालसोट जिला दौसा राज० में स्थित है जिसका कुल क्षेत्रफल 92 वर्गगज है जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी को, किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो, नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली फ़ैसल शुमार हो एवं नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 22 सितम्बर, 2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा